मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26 /05/2022

क्रमांक 903 /3355/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1261/2686/2021/38-1, दिनांक 06.08.2021 द्वारा (स.क्र. 49 पर अंकित) डॉ. आर.बी.गुप्ता, प्राध्यापक, वाणिज्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा किया गया है।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 15785/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2021 में याचिका को dispose of किया है। माननीय न्यायालय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

On due consideration of submissions and perusal of the record so also considering the fact that the petitioner is suffering from Cancer and is also undergoing treatment at Indore & Mumbai, this Court finds it expedient to dispose of this petition with a direction to the petitioner to file a fresh representation along with all relevant documents within a period of one week before the respondent No.1 (Secretary/Principal Secretary, Department of Higher Education, Bhopal), who shall decide the same by passing a reasoned and speaking order after giving opportunity of hearing to the concerned parties (if any), in accordance with law, within a further period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order

Since no other person has been appointed / deputed on the post of the petitioner, he / she shall be allowed to continue on the present place of posting, till his / her representation is decided by respondent No.1. The petitioner is also at liberty to suggest other place (s) for his transfer nearby Indore, so that he can also get himself properly treated.

3/ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में डॉ. आर.बी. गुप्ता द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि वे वर्ष 2004 से ब्लड कैंसर (CML) से पीडित हैं, जिसका उपचार इंदौर के चिकित्सकों द्वारा नियमित किया जा रहा है तथा प्रत्येक 06 माह में उन्हें टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुंबई फॉलोअप चेकअप हेतु जाना होता है। डॉ. गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्थानांतरण निरस्त कर यथावत पदस्थ किए जाने का अनुरोध किया है।

4/ उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसार डॉ. आर.बी.गुप्ता, प्राध्यापक, वाणिज्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर में पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/05/2022

पृष्ठा. 904 /3355/2021/38/1

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
3. प्राचार्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर
4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा,
5. संबंधित डॉ. आर.बी.गुप्ता, प्राध्यापक, वाणिज्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर
6. गार्ड फाईल,

24.05.22
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग